राजस्थान सरकार

निर्णय बइजलास द्वारा श्री शक्ति सिंह भाटी (R.A.S.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्र0सं0 74/2015/रे0वाद/

निर्णय दिनांक :– 29.08.2019

अनवान

1. श्री प्रभु पिता भानाजी रायका निवासी भारत सिंह जी का गुडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

——वादी

बनाम

1. श्री देवा (देवीलाल) पिता जोधा रेगर निवासी अनोपपुरा तहसील देवगढ़
2. श्री लालु पिता मोती जी रेगर निवासी अनोपपुरा तहसील देवगढ़
3. श्री गोपा (गोपीलाल) पिता जोधा रेगर निवासी अनोपपुरा तहसील देवगढ़
4. श्रीमति हंजा पिता जोधा रेगर निवासी अनोपपुरा तहसील देवगढ़
5. श्रीमति भोली पिता जोधा रेगर निवासी अनोपपुरा तहसील देवगढ़
6. श्रीमति मांगी पिता जोधा रेगर निवासी अनोपपुरा तहसील देवगढ़
7. श्रीमति चन्दी बेवा जोधा रेगर निवासी अनोपपुरा तहसील देवगढ़
8. श्री तोलीराम पिता मोडा जी रेगर निवासी अनोपपुरा तहसील देवगढ़
9. श्री गंगाराम पिता मोडा जी रेगर निवासी अनोपपुरा तहसील देवगढ़
10. श्री बद्रीलाल पिता मोडा जी रेगर निवासी अनोपपुरा तहसील देवगढ़
11. श्रीमति सन्तु पिता मोडा जी रेगर निवासी अनोपपुरा तहसील देवगढ़
12. श्रीमति हरकी पिता मोडा जी रेगर निवासी अनोपपुरा तहसील देवगढ़
13. श्रीमति धीसी पिता मोडा जी रेगर निवासी अनोपपुरा तहसील देवगढ़
14. श्री लादुलाल पिता मांगु जी बलाई निवासी अनोपपुरा तहसील देवगढ़
15. श्री चतरू पिता उदा जी बलाई निवासी अनोपपुरा तहसील देवगढ़

——प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,91,188

उपस्थित :– 1. श्री छोगालाल वकील वादी

वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि ग्राम अनोपपुरा पटवार हल्का कुन्दवा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में स्थित भूमि के खसरा नम्बर 61 शा.न. 62 रकबा 0.05, खसरा नम्बर 63/1 रकबा 0.08, खसरा नम्बर 63/2 रकबा 0.18, खसरा नम्बर 64 रकबा 0.08, खसरा नम्बर 65 रकबा 0.12, खसरा नम्बर 66 रकबा 0.02, खसरा नम्बर 67 रकबा 0.06, खसरा नम्बर 68 रकबा 0.06 कुल किता 8 रकबा 3.05 बीघा हैं। उक्त वर्णित खसरा नम्बरों की भूमि जो पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 व प्रतिवादी संख्या 8 से 13 के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 7 के दादिया ससुर मोती पिता नगजी रेगर निवासी अनोपपुरा के स्वामित्व व कब्जे काश्त की थी। जिसने वादी के पिता भानाजी पिता मिश्रीजी रायका निवासी भारतसिंह जी का गुडा को रूपये 1500 में दिनांक 01.10.1940 को रूपये लेकर बेचान कर दी जिसका लिखतम उसने वादी के पिता भानाजी के हक में उनकी बही में लिखवाकर उसपर विक्रेता मोती ने

सहायक कलेक्टर

अंगूठा निशानी कर गवाहान करा भूमि बेच दी व दिनांक 01.10.1940 को कब्जा सिपुर्द कर दिया उसके बाद विक्रेता मोती ने उक्त अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र जो वादी के पिता भानाजी रायका के पक्ष में उनकी बही में लिखवाकर गवाहान करा सारी भूमि का कब्जा भानाजी को सिपुर्द कर दिया मोती रेगर ने दिनांक 04.07.1966 को विधिवत स्टाम्प पर विक्रय पत्र बेचाव का मालिति 1000 रूपये अंकित करा उस पर उसके हस्ताक्षर कर व मोती ने अंगूठा निशानी लगाकर उस बेचाव पत्र को दिनांक 04.07.1966 को उपपंजियक देवगढ के यहां वादी के पिता भानाजी रायका के पक्ष में पंजियन करा दिया तथा उक्त वर्णित खसरा नम्बरों की भूमि किता 8 रकबा 3.05 बीघा भूमि वादी के पिता भानाजी को दिनांक को 01.10.1940 को अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर सिपुर्द की थी। भानाजी रायका के स्वर्गवास पश्चात् उक्त भूमि पुत्र के तौर पर विरासत से वादी को मिली हैं। प्रथम वक्त खरीद व बेचान दिनांक 01.10.1940 के समय राजस्थान टिनेन्सी एक्ट नहीं बना था। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 में बना जिससे राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। वादी को इस वाद की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 15 के नाम गलत खाते दर्ज होने की जानकारी दिनांक 22.09.2015 को तहसील से जमाबंदी की नकल लेने पर हुई। वादी ने प्रतिवादीगण को उनके नाम गलत खाते दर्ज भूमि को उनके नाम से हटाकर वादी के नाम दर्ज कराने के लिये कईबार कहां लेकिन प्रतिवादीगणों ने ऐसा नहीं किया जिस पर वादी को वाद के लिये विवश होना पडा हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त उपरोक्त आराजीयात को प्रतिवादीगण के नाम से हटाकर वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने के आदेश प्रदान करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण का मय नकल वादपत्र के सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1,2,8,9 की और से वकील श्री विजयकुमार ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 3,4,5,6,7,10,11,12,13 को सम्मन तामील हो जाने पर भी अनुपस्थित रहे जिसपर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 14,15 ने सम्मन लेने से इन्कार किया जिसपर उनको सम्मन तामील माना जाकर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। वकील वादी ने शहादत में स्वयं वादी एवं गवाह तारू, लालु, नैना एवं गुणा के शपथ पत्र पेश किये। शहादतवादी एकतरफा होने से गवाहान की क्रोस शुन्य दर्ज की गई। वकील वादी ने प्रकरण में बहस की। बहस में वकील वादी ने तर्क दिया कि वादग्रस्त आराजीयात जो पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 व प्रतिवादी संख्या 8 से 13 के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 7 के दादिया ससुर मोती पिता नंगजी रेगर के स्वामित्व व कब्जे काश्त की थी जिसे वादी के पिता मिश्री जी रायका को 1500 रूपये में दिनांक 01.10.1940 को रूपये लेकर बेचान कर दी तथा भूमि का कब्जा विक्रेता ने केता वादी के पिता भाना जी रायका को दिनांक 01.10.1940 को सिपुर्द कर दिया तथा दिनांक 04.07.1966 को उपपंजियक कार्यालय देवगढ में वादी के पिता भाना जी रायका के पक्ष में पंजियन करा दिया। भाना जी के स्वर्गवास पश्चात्

सहायक कलेक्टर

वादी को पुत्र के तौर पर विरासत से उतराधिकार में भूमि मिली तभी से वादी का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त हैं।

हमने वादी के वाद पत्र, कमिश्नरी रिपोर्ट, गवाह शपथ पत्र एवं पत्रावली में संलग्न अन्य दस्तावेजो का अवलोकन किया तथा विद्वान वकील वादी की बहस पर मनन किया। प्रथम वक्त भूमि के खरीद व बेचाव के समय दिनांक 01.10.1940 को राजस्थान टिनेन्सी एक्ट नहीं बना था। लेकिन उस वक्त भूमि का राजस्व रेकार्ड में अंकन नहीं हुआ। वादी अब भूमि का रजिस्टर्ड बेचान के आधार पर भूमि उसके नाम दर्ज कराना चाहता हैं वर्तमान में राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रावधान लागू हैं वादी रायका जाति का हैं जो अन्य पिछडा वर्ग में आती हैं तथा प्रतिवादीगण रेगर व बलाई जाति के हैं जो अनुसूचित जाति के हैं। अतः उक्त विक्रय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लघन हैं। ऐसी स्थिति में वादी के पूर्वजो द्वारा उक्त क्रय शुदा भूमि को ग्राम अनोपपुरा में स्थित होकर खसरा नम्बर 61 शा.न. 62 रकबा 0.05, खसरा नम्बर 63/1 रकबा 0.08, खसरा नम्बर 63/2 रकबा 0.18, खसरा नम्बर 64 रकबा 0.08, खसरा नम्बर 65 रकबा 0.12, खसरा नम्बर 66 रकबा 0.02, खसरा नम्बर 67 रकबा 0.06, खसरा नम्बर 68 रकबा 0.06 कुल किता 8 रकबा 3.05 बीघा भूमि वादी के नाम दर्ज करने के आदेश नहीं दिये जा सकते हैं। अतः वादी का वाद खारीज किया जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला–राजसमन्द

राजस्थान–सरकार

डिग्री व मुकद्दमे इब्तदाई

निर्णय बईजलास श्री शक्ति सिंह भाटी (R.A.S.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़

प्र0सं0 74/2015/रे0वाद/

निर्णय दिनांक :– 29.08.2019

अनवान

1. श्री प्रभु पिता मानाजी रायका निवासी भारत सिह जी का गुडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

——वादी

बनाम

2. श्री देवा (देवीलाल) पिता जोधा रेगर निवासी अनोपपुरा तहसील देवगढ़
3. श्री लालु पिता मोती जी रेगर निवासी अनोपपुरा तहसील देवगढ़
4. श्री गोपा (गोपीलाल) पिता जोधा रेगर निवासी अनोपपुरा तहसील देवगढ़
5. श्रीमति हंजा पिता जोधा रेगर निवासी अनोपपुरा तहसील देवगढ़
6. श्रीमति भोली पिता जोधा रेगर निवासी अनोपपुरा तहसील देवगढ़
7. श्रीमति मांगी पिता जोधा रेगर निवासी अनोपपुरा तहसील देवगढ़
8. श्रीमति चन्दी बेवा जोधा रेगर निवासी अनोपपुरा तहसील देवगढ़
9. श्री तोलीराम पिता मोडा जी रेगर निवासी अनोपपुरा तहसील देवगढ़
10. श्री गंगाराम पिता मोडा जी रेगर निवासी अनोपपुरा तहसील देवगढ़
11. श्री बद्रीलाल पिता मोडा जी रेगर निवासी अनोपपुरा तहसील देवगढ़
12. श्रीमति सन्तु पिता मोडा जी रेगर निवासी अनोपपुरा तहसील देवगढ़
13. श्रीमति हरकी पिता मोडा जी रेगर निवासी अनोपपुरा तहसील देवगढ़
14. श्रीमति घीसी पिता मोडा जी रेगर निवासी अनोपपुरा तहसील देवगढ़
15. श्री लादुलाल पिता मांगु जी बलाई निवासी अनोपपुरा तहसील देवगढ़
16. श्री चतरू पिता उदा जी बलाई निवासी अनोपपुरा तहसील देवगढ़

——प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,91,188

उपस्थित :– 1. श्री छोगालाल वकील वादी

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू ..... मिनजानिब मुद्दयलह पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं व डिकी दी जाती हैं कि वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता हैं नीज ..... मुबलिग ....बाबत ..... खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शहर .... फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज **तारीख 29 मास अगस्त सन् 2019** को जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला–राजसमन्द

मुद्दई	रूपया	पै0	मुद्दायला	रूपया	पै0
स्टाम्प अरजी दावा	4	00	स्टाम्प वकालातनामा	0	00
स्टाम्प वकालातनामा	3	00	स्टाम्प अरजी	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	महनताना वकील)पर	0	00
महनताना वकील)पर	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	फीस कमीश्नर	0	00
फीस कमीश्नर	0	00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0	00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0	00	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	52	00		0	
			मिजान		
मिजान	59	00		00	00

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिऐं।

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला–राजसमन्द